

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प रावलखेड़ा

प्रकरण संख्या / 654/21

दिनांक :- 27-10-2021

उनवान

श्री मंकरलाल पुत्र सरदार
भीणा

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश :::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,
पटवारी हल्का रावलखेड़ा भू. अ. नि. जहाजपुर एवं नायब तहसीलदार
/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सरणीया खेड़ा प. ह. रावलखेड़ा
की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 30, 7-6 में
प्रार्थीगण की प्रविष्टि मूरा पुत्र सरदार भीणा

के स्थान पर मंकरलाल पुत्र सरदार भीणा
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश
जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

Du
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री मंकरलाल पुत्र सरदार भीणा
3. रक्षित पत्रावली

Du
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा